न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1410 / 2026

अजय पासवान बनाम् बिहार सरकार

महुआ थाना कांड सं0–307 / 2026

अधीन धारा–126(2), 115(2), 117, 118(2), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

24-06-2026

महुआ थाना कांड संख्या–307 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 117, 118(2), 109, 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक **अजय पासवान उम्र–47 वर्ष पेसर–स्व0 मिश्री पासवान उर्फ गणेश पासवान** साकिन–मुकुंदपुर सिंघाड़ा, थाना–महुआ, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री लालेश्वर कुमार सिंह** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्याम बाबु राय** एवं सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री दिलीप कुमार** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

Web copy, not Official

जमानत आवेदन की कण्डिका 2 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि सूचक के पास कोई लड़का नहीं है, वह लड़की को रखे हुए है। दिनांक–23.04.2026 को समय 07.00 बजे सुबह सूचक का नाती गंगा पासवान खेलने हेतु अजय पासवान के दरवाजे पर गया तथा अजय पासवान का लड़का सूचक के नाती को धकेल दिया जिससे उसका नाती जमीन पर गिर गया तथा चोट लग गया। सूचक का नाती रोते हुए अपने घर पर आया तो सूचक ने पूछा क्या हुआ है तो उसने बताया कि अजय पासवान का लड़का उसे धकेल दिया है। जब सूचक और उसकी लड़की राधा देवी पूछने गये तो गुस्सा होकर अजय पासवान गाली–गलौज कर जान मारने की नियत से सूचक के लड़की के सर पर बॉस चलाकर उसका सर फाड़ दिया जिससे उसकी लड़की के सर में चार टॉका लगा और गंभीर चोट आयी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है तथा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढ़न्त है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा–118(2) एवं 109 का आरोप नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि नाबालिग लड़कों के बीच खेलने में विवाद को लेकर उक्त घटना कारित हुई है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी 01 से 32 एवं उसके

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1410/2026

अजय पासवान बनाम् बिहार सरकार

लगातार

24.06.2026

साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर बच्चों के बीच खेलने के विवाद को लेकर सूचक और उसकी पुत्री राधा देवी के साथ गाली–गलौज कर जान मारने की नियत से उसकी पुत्री के सर पर बॉस चलाकर उसका सर फाड़ देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 07 एवं 08 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। साथ ही उक्त साक्षियों द्वारा स्पष्ट रूप से बयान दिया गया है कि खेलने के क्रम में आवेदक का लड़का सूचक के नाती को धकेल दिया था जिसके संबंध में सूचक और उसकी पुत्री राधा देवी पूछने गये तो उक्त घटना कारित हुई जो प्राथमिकी के अवलोकन से भी स्पष्ट है। इन तथ्यों से प्रकट होता है कि घटना पूर्वनियोजित नहीं थी, अपितु एकाएक घटित हुई थी। अभिलेख के साथ जख्मी राधा देवी का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जिसमें चिकित्सक द्वारा उसके खोपड़ी के बाएं पार्श्रिका क्षेत्र पर 4 सेमी x 0.5 सेमी x त्वचा की गहराई तक का फटा हुआ घाव पाया गया है और उक्त जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदक द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदक को 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy Not Official